वि.स. तारां प्रश्न क्रमांक 316 के प्रश्नांश "अ" [13/3/2025] का परिशिष्ट "3"
पृष्ठ संख्या 1 से 2
प्रश्नकर्ता विधायक का नाम - श्री भूपेन्द्र
प्रश्न के उत्तर देने का अंतिम दि. - 13/03

प्रश्न सं. [क. 316]

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल दिनांक 27 /09/2024

898 / क्रमांक/एफ 1/4/1/0001/2024/1-सत्रह-मेडि:: राज्य शासन एतद् द्वारा बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में पी.जी. एवं यू.जी. सीट वृद्धि हेतु जिला चिकित्सालय सागर एवं बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पताल के विलय की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

2/ जिला चिकित्सालय में कार्यरत उन समस्त चिकित्सकों को जिन्हें एन.एम.सी द्वारा निर्धारित "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम" अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय के शैक्षणिक चिकित्सीय संवर्ग में मान्य किये जाने की पात्रता है। उन्हें चिकित्सा महाविद्यालय की उपलब्ध रिक्तियों में समायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। इस हेतु गैर शैक्षणिक चिकित्सकीय संवर्ग के चिकित्सकों को शैक्षणिक चिकित्सकीय संवर्ग में मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 के अधीन आमेलित कर बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर (स्वशासी) में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाने का विकल्प दिया जाएगा। जो चिकित्सक शैक्षणिक चिकित्सकीय संवर्ग में आमेलन हेतु पात्रता/सहमति नहीं रखते है उन्हें उपलब्ध रिक्तियों अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी (अकास्मिक चिकित्सा अधिकारी अथवा सामान्य चिकित्सा अधिकारी) के रूप में पदस्थापना हेतु विकल्प दिया जाएगा। जो चिकित्सक उपरोक्त दोनों में से कोई भी विकल्प नहीं लेते है अथवा उपरोक्त तरीके से समायोजित नहीं हो पाते है उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों मे स्थानांतरित किया जाएगा।

3/ गैर चिकित्सकीय संवर्ग के मानव संसाधन को उनके वर्तमान सेवा नियमों के तहत कार्यरत रखा जाएगा। सिर्फ उनकी पदस्थापना चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल के अंतर्गत सुसंगत नियमों के तहत (पदस्थापना/प्रतिनियुक्ति) की जावेगी। बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर एवं संबद्ध अस्पताल के अंतर्गत पदस्थ होने के उपरांत उनका प्रशासकीय नियंत्रण एवं रिपोटिंग अधिष्ठाता/अस्पताल अधीक्षक के माध्यम से रहेगा। संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल में उक्त गैर चिकित्सकीय संवर्ग हेतु समेकित पद की अनुपलब्धता होने पर उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित किया जाएगा।

उप संचालक (परियोजना एवं विकास)
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश

4/ यह स्वीकृति मंत्रि–परिषद की बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 2024 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सीमा डहेरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृष्ठा.क्र. 899/एफ 1/4/1/0001/2024/1-सत्रह-मेडि भोपाल दिनांक 27/09/2024

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. निज सचिव, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की टीप क्रमांक 428/एसीओएम/2023, दिनांक 09.01.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
7. अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर मध्यप्रदेश।
8. जिला चिकित्सालय सागर मध्यप्रदेश।
9. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

241